

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक... 24.04.26

संख्या-7/स्था0-04-19/2025सा0प्र0...7282.../महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-33149 दिनांक 10.04.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अतुल कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पटना को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा-5 के तहत डी0ए0 केसेस को छोड़कर) के अन्तर्गत पीठासीन पदाधिकारी, विशेष न्यायालय (निगरानी), पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


24/04/26
(रजनीश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।


ज्ञापांक-7/स्था0-04-19/2025सा0प्र0...7282.../ पटना-15, दिनांक... 24.04.26

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।


24/04/26
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-19/2025सा0प्र0...7282.../ पटना-15, दिनांक... 24.04.26

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-33149 दिनांक 10.04.2026 के प्रसंग में/प्रभारी सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना/श्री अतुल कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0), बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24/04/26
सरकार के अपर सचिव।